न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–290 / 2023 दायर दिनांक–05.12.2023
GCMS NO:- 2023/448 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. देशराम आ0 मोलरराम जाति यादव नि0 हाउस नम्बर 273 गली नम्बर 5, ब्लॉक डी प्रेम नगर नजफगढ, नई दिल्ली।
2. मूर्ति देवी पत्नी देशराम जाति यादव नि0 हाउस नम्बर 273 गली नम्बर 5, ब्लॉक डी प्रेम नगर नजफगढ नई दिल्ली।

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी। अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र नागर। **निर्णय दिनांक 11.06.2025**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खुरी प0म0 सहण तहसील नैनवॉ जिला बून्दी मे खाता संख्या 137 के खसरा नम्बर 383 / 633 रकबा 4.8540 हैक्टयर, खाता संख्या 138 के खसरा नम्बर 383 / 689 रकबा 6.4720 हैक्टयर, खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 723 / 383 रकबा 3.2360 हैक्टयर, खसरा नम्बर 745 / 383 रकबा 1.6180 हैक्टयर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण निरन्तर एवं निर्बाध गति से काबिज एवं खेती काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने सुविधा के अनुसार मौके पर मेर डाल रखी है तथा कांटेदार तार खींचे हुए है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमियों के पडौसी काश्तकार अवैध व अनाधिकृत रूप से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमि की मेर को तोडने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को सीमाज्ञान करवाने हेतु ओवदन पेश किया हुआ है लेकिन आज दिन तक भी सीमाज्ञान नही हुआ। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 17 माह का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम खुरी प0म0 सहण तहसील नैनवॉ जिला बून्दी मे खाता संख्या 137 के खसरा नम्बर 383 / 633 रकबा 4.8540 हैक्टयर, खाता संख्या 138 के खसरा नम्बर 383 / 689 रकबा 6.4720 हैक्टयर, खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 723 / 383 रकबा 3.2360 हैक्टयर, खसरा नम्बर 745 / 383 रकबा 1.6180 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 1000 / – रूपये अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा